# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 : 156/2018**

**अनवान :**

1. जयसिंह पुत्र फुसाराम जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

**बनाम**

1. जुगलाल पुत्र अमीलाल जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
2. बनेशदेवी पत्नी फुसाराम जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
3. पूजा पुत्री फुसाराम जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88,89 राज.काश.अधि.**
**उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द शर्मा : वादी**
वकील श्री विक्रम शर्मा: **प्रतिवादीगण**
**निर्णय** **दिनांक :** 23.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा चक जोगीवाला बारानी के वर्तमान खाता संख्या 153/121 के मु.न. 26 किला नं. 16 ता 25, मु.न. 47 किला नं. 1 ता 25, मु.न. 53 किला नं. 1 ता 10 कुल किता 45 की 11.385 हैक्टर खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम सं 2.214 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। इसी प्रकार चक 11 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 340/56 के मु.न. 109 किला नं. 15, मु.न. 110 किला नं. 10 ता 25, मु.न. 121 किला नं. 1 ता 15 कुल किता 33 की 8.154 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 1.232 हैक्टर बारानी खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 13 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 55/11 के मु.न. 12 किला नं. 25, मु.न. 13 किला नं. 21 ता 23, मु.न. 34 किला नं. 1 ता 3, मु.न. 35 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 25, मु.न. 36 किला नं. 21, 22, मु.न. 37 किला नं. 1, मु.न. 38 किला नं. 1 ता 5 कुल किता 34 की 8.224 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 29/192 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।

वादभूमि वादी के दादा प्रतिवादी जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि पहले वादी के परदादा अमीलाल की खातेदारी हुआ करती थी अमीलाल की खातेदारी से आय आमदनी से कुछ भूमि खरीद कर ली गई थी। इस प्रकार प्रतिवादी जुगलाल के नाम से जो खातेदारी दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दु परिवार की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। परन्तु प्रतिवादी जुगलाल कर्ता खानदान होने के चलते उक्त भूमि



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

प्रतिवादी जुगलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादी के पिता फुसाराम का देहान्त हो चुका है।

वादभूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें रोही मोजा चक जोगीवाला बारानी के वर्तमान खाता संख्या 153/121 के मु.न. 26 किला नं. 16 ता 25, मु.न. 47 किला नं. 1 ता 25, मु.न. 53 किला नं. 1 ता 10, कुल किता 45 की 11.385 हैक्टर खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 2.214 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि मे से 0.711 हैक्टर भूमि वादी के हिस्सा में आ गई तथा शेष 1.503 हैक्टर भूमि प्रतिवादी जुगलाल के हिस्सा में आ गई इसी प्रकार चक 11 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 340/56 के मु.न. 109 किला नं. 15, मु.न. 110 किला नं. 10 ता 25, मु.न. 121 किला नं. 1 ता 15 कुल किता 33 की 8.154 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 1.235 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी के हिस्सा में 0.510 हैक्टर व शेष 0.726 हैक्टर भूमि प्रतिवादी जुगलाल के हिस्सा में आई है। इसी प्रकार चक 13 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 55/11 के मु.न. 12 किला नं. 25, मु.न. 13 किला नं. 21 ता 23, मु.न. 34 किला नं. 1 ता 3, मु.न. 35 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 25, मु.न. 36 किला नं. 21, 22, मु.न. 37 किला नं. 1, मु.न. 38 किला नं. 1 ता 5, कुल किता 34 की 8.224 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 29/192 हिस्सा अर्थात 1.242 हैक्टर मे से वादी के हिस्सा में 0.514 व प्रतिवादी जुगलाल के हिस्सा में 0.728 हैक्टर भूमि आई है परन्तु उक्त कुल भूमि आज भी प्रतिवादी जुगलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चल आ री है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा चक जोगीवाला बारानी के वर्तमान खाता संख्या 153/121 के मु.न. 26 किला नं. 16 ता 25, मु.न. 47 किला नं. 1 ता 25, मु.न. 53 किला नं. 1 ता 10, कुल किता 45 की 11.385 हैक्टर खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 2.213 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि मे से 0.711 हैक्टर तथा शेष 1.502 हैक्टर भूमि प्रतिवादी जुगलाल खातेदार काश्तकार है तथा चक 11 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 340/56 के मु.न. 109 किला नं. 15, मु.न. 110 किला नं. 10 ता 25, मु.न. 121 किला नं. 1 ता 15 कुल किता 33 की 8.154 हैटर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 1.235 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी 0.509 हैक्टर व शेष 0.726 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी जुगलाल खातेदार काश्तकार है तथा चक 13 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 55/11 के मु.न. 12 किला नं. 25, मु.न. 13 किला नं. 21 ता 23, मु.न. 34 किला नं. 1 ता 3, मु.न. 35 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 25, मु.न. 36 किला नं. 21, 22, मु.न. 37 किला नं. 1 मु.न. 38 किला नं. 1 ता 5, कुल किता 34 की 8.224 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 29/192 हिस्सा अर्थात 1.242 हैक्टर मे से वादी के हिस्सा में 0.514 व प्रतिवादी जुगलाल 0.728 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 का कोई हक हिस्सा नही है। बाद किये जाने घोषणा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दुरूस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) नोहर/भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया तथा वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 4 को फोरमल पक्षकार होने के कारण तर्क किया। बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में जयसिंह पुत्र फुसाराम जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जोगीवाला प्रदर्श 1, जमाबंदी जोगीवाला बारानी सम्वत 2073–78 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 13 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2072–75 प्रदर्श 3, जमाबंदी 11 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2072–75 प्रदर्श 4, व दादालाई रिकार्ड जमाबंदी प्रदर्श 5, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक जोगीवाला बारानी, चक 11 जेजीडब्ल्यू व चक 13 जेजीडब्ल्यू अपने दादा जुगलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादभूमि खतौनी जमाबन्दी ग्राम जोगीवाला बारानी, खतौनी जमाबन्दी चक 11 जोगीवाला में अमीलाल के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है। अमीलाल के चार वारिसान भंवरा, जुगलाल, ताराचंद, नोरंग के नाम भूमि दर्ज होना साबित है। अमीलाल के नाम दर्ज खातेदारी काश्तकारी वाद भूमि में जुगलाल 1/4 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादभूमि में जुगलाल का पैत्रक आधार पर 1/16 हिस्सा साबित है, शेष भूमि जुगलाल को कब व कैसे प्राप्त हुई, वादी ने इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है न ही शेष भूमि जुगलाल को पैत्रक/विरासतन प्राप्त होना साबित किया है, उसमें वादभूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कराने पर सहमति दी है। उक्त बंटवारा किस आधार पर किया है, प्रतिवादीया सं0 2 व 3 के हक हिस्सा का क्या रहा ? दावा में वादभूमि जुगलाल की पैत्रक कृषि भूमि की आय से क्रय करने का कथन किया है, जबकि वादी ने इसे साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादी को अपना वाद अपने पेरों पर खड़े होकर साबित करना होता है जिसमें वादी असफल रहा है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का डिक्री योग्य नहीं होने कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 156/2018

अनवान :

1. जयसिंह पुत्र फुसाराम जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र अमीलाल जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
2. बनेशदेवी पत्नी फुसाराम जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
3. पूजा पुत्री फुसाराम जाति यादव निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का डिक्री योग्य नहीं होने कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़